मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, भदभदा रोड, भोपाल

क्रमांकः–580 भोपाल, दिनॉक 20/07/23

कार्यालय अधीक्षक की संविदा नियुक्ति

"मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड", कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत शासकीय कम्पनी के रूप में कार्यरत है। निगम शासकीय विभागों हेतु निर्माण का कार्य करता है।

3. **संविदा पद का विवरण :–**

सं.क.	पद	कुल रिक्ति	संवर्ग जिसके लिये आरक्षित है
1.	कार्यालय अधीक्षक	01	अनारक्षित

4. **संविदा नियुक्ति के लिये आवश्यक अर्हकारी शर्ते :–**

अ. विज्ञापित संविदा नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक–सी–03–12/2011/3/एक दिनांक 03 सितम्बर 2011 में अंकित आवश्यक शर्ते, मापदण्ड एवं वर्णित प्रावधान कार्पोरेशन में लागू होगे।

ब. अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करके सेवा निवृत्त अधिकारी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये पात्र होंगे, जिन्हे मुख्यलिपिक या समकक्ष पद पर कार्य का अनुभव किसी शासकीय विभाग, निगम/मण्डल मे प्राप्त हो।

स. संबंधित अधिकारी की निष्ठा के बारे में उसके सेवाकाल के दौरान किसी भी समय कोई संदेह या आक्षेप न किया गया हो और सामान्यतः ईमानदारी और दक्षता के बारे में उसकी ख्याति अच्छी रही हो तथा वर्तमान में उसके विरूद्ध कोई जॉच लम्बित न हो।

द. पिछले वर्षो मे सेवा के दौरान संबंधित अधिकारी को कोई दीर्घ शास्ति नहीं दी गयी हो।

य. संबंधित अधिकारी का स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में हो। यदि संविदा–नीति अंतर्गत चयन किया जाता है, उस स्थिति मे जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा सेवा के लिये स्वस्थ पाये जाने पर ही नियुक्ति पर प्रभार ग्रहण की अनुमति प्रदान की जावेगी।

र. आवेदन दिनांक को आयु 64 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए। संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष के लिये होगी अतः आवेदन दिनांक को 64 वर्ष तक आयु के अधिकारी ही आवेदन के लिये पात्र होंगे।

Scanned with CamScanner

4. संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्ते :–

1. संविदा सेवा मे नियुक्ति के लिये अवधि प्रथमतः एक वर्ष की होगी, जो नियमानुसार प्रबन्ध संचालक द्वारा उत्कृष्ट कार्य पर एक–एक वर्ष के लिये बढाई जा सकेगी, परन्तु 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत अवधि नहीं बढाई जावेगी।
2. संविदा सेवा मे प्रतिमाह पेंशन की राशि घटाकर एकजाई वेतन देय होगा। एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिये सेवा निवृत्ति के समय कुल वेतन से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी।
3. पेंशन पृथक से प्राप्त होगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी।
4. उभय पक्षों मे से किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज मे एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. संविदा सेवा अवधि मे पात्रतानुसार गृहभाड़ा भत्ता/अन्य भत्ते संविदा नियमों के अनुसार देय होगा।
6. अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
7. यात्रा भत्ते एवं अन्य भत्तों की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसा कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व अधिकारी को थी।
8. संविदा नियुक्ति आदेश के 45 दिवस तक कार्यभार ग्रहण न करने पर संविदा नियुक्ति आदेश स्वतः प्रभाव शून्य हो जायेगा।
9. संविदा पर नियुक्त अधिकारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे। उक्त पद पर कार्य करते हुए यदि उनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है, तो उन्हे सम्यक जॉचोपरांत दोषी पाये जाने पर प्रबन्ध संचालक द्वारा उचित कार्यवाही किंये जाने का अधिकार होगा।
10. कार्यालय द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति एवं चयन प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये प्रबन्ध संचालक द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

संलग्न :– आवेदन का प्रारूप

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम, भोपाल

Scanned with CamScanner

संविदा कार्यालय अधीक्षक पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का पूरा नाम :–
2. पिता का नाम :–
3. जन्म तिथि :–
4. सेवा मे प्रथम नियुक्ति की दिनांक एवं पद :–
5. वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनॉक :–
6. सेवा निवृत्ति की दिनांक :–
7. सेवा निवृत्ति की दिनांक को प्राप्त वेतनमान एवं उस पर प्राप्त वेतन रू :–

8. **संस्थान मे कार्यानुभव का विवरण :–**

सं. क.	संस्थान का नाम एवं धारित पद का विवरण	दिनॉक से	दिनॉक तक	कार्य अनुभव का विवरण
1.				
2.				

9. **शैक्षणिक योग्यता:–**

सं.क.	योग्यता का विवरण	उत्तीर्ण परीक्षा	योग्यता प्राप्ति का वर्ष	परिणाम एवं श्रेणी
1.				
2.				
3.				
4.				

10. सेवा काल में प्रशंसनीय कार्यो के लिये प्राप्त प्रशंसा पत्र, ईनाम की संख्या :–
(प्रशंसा पत्र की सत्यापित प्रतियॉ संलग्न किये जावें)

11. सेवाकाल में प्राप्त दण्ड लघुशस्ति, दीर्घशस्ति, चेतावनी आदि की संख्या :–
(दिनांक सहित पृथक–पृथक कम में अंकित कर सूची संलग्न की जावें)

12. लंबित/निराकृत, विभागीय जॉच, अपराधिक प्रकरण, अनुशासनिक जॉच की पृथक–पृथक संख्या एवं विवरण :–
(कुल आदेशित/निराकृत का विवरण पृथक–पृथक सूचीबद्ध कर संलग्न किया जावे किन्तु यदि वर्तमान में लंबित है तो आवेदन न किया जावे। जॉच लंबित न होने संबंधी 'अंडरटेकिंग' संलग्न करना अनिवार्य है। वर्तमान में अथवा सेवाकाल में ऐसी प्रत्येक जॉच का व्यौरा अंकित कर स्व–हस्ताक्षरित एवं वर्तमान स्थिति का व्यौरा सूचीबद्ध कर, तत्संबंधी 'अंडरटेकिंग' संलग्न की जावे)
13. विगत 10 वर्ष में गंभीर बीमारी के लिये अन्त: रोगी के रूप मे उपचारार्थ चिकित्सालय में भर्ती की अवधि एवं चिकित्सीय आधार पर स्वीकृत लघुकृत अवकाश की अवधि का विवरण :–

Scanned with CamScanner

समस्त अभ्यार्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सहपत्र एवं स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों सहित निगम मुख्यालय मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भदभदा रोड, भोपाल–462003 मे दिनांक 31.07.2023 को कार्यालयीन समय अपरान्ह 6:00 बजे तक व्यक्तिशः अथवा डाक से भेज सकेगे। दिनांक 31.07.2023 के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगे। डाक पत्र के विलम्ब के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा। अतः समस्त अभ्यार्थी नियत दिनांक तक सभी कॉलमों की पूर्ति कर आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित अपना आवेदन पत्र समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

//सत्यापन–प्रमाण–पत्र//

मैं .... शपथ पूर्वक, सत्य निष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि आवेदन पत्र में सं.क. 01 से 13 तक मेरे द्वारा अंकित की गयी जानकारी जहॉ तक मुझे ज्ञात है, मेरे अभिलेख अनुसार सही एवं सत्य है। यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती जावे तो मेरा आवेदन निरस्त कर मेरी प्रतिभागिता निरस्त कर मेरे विरूद्ध कार्यवाही के लिये प्रबंधन को अधिकार होगा।

दिनॉक

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner